समाज

गोरखपुर के मज़दूर आन्दोलन के अनुभव और उसके सबक

देश में पूँजीवादी विकास के साथ एक ओर बड़े-बड़े औद्योगिक केन्द्रों, सेज आदि का विकास हो रहा है, दूसरी ओर, छोटे-छोटे क़स्बो-शहरों के इर्दगिर्द भी छोटे-बड़े औद्योगिक क्षेत्र बढ़ते जा रहे है। इन जगहों के मज़दूरों की हालत बड़े औद्योगिक केन्द्रों के मुक़ाबले और भी बदतर है। यहाँ के कारखानों में किसी तरह के श्रम क़ानूनों का कोई मतलब नहीं है, श्रम विभाग से लेकर स्थानीय प्रशासन तक मालिकों की जेब में रहता है। बहुत से कारखाने तो स्थानीय राजनेताओं और अपराधी क़िस्म के उद्योगपतियों के हैं और इन औद्योगिक क्षेत्रों में उनका गुण्डा राज बेरोकटोक चलता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बनारस आदि शहरों के इर्दगिर्द उभरे इस तरह के औद्योगिक क्षेत्रों में मज़दूर प्रतिरोध की नयी लहर उठती दिखाई दे रही है। सतह के नीचे लम्बे समय से जारी सुगबुगाहट पिछले दिनों एक विस्फोट के रूप में सामने आयी।

गोरखपुर में क़रीब तीन महीने तक चले आन्दोलन में पिछले दिनों मज़दूरों ने एक बड़ी जीत हासिल की जब मज़दूरों और नागरिकों के भारी दबाव के आगे अन्त: प्रशासन को झुकना पड़ा और गिरफ़्तार मज़दूर नेताओं पर से फ़र्ज़ी मुक़दमे हटाने और हड़ताली मज़दूरों की माँगें पूरी कराने के लिए लिखित समझौता करना पड़ा। इससे पहले 21 अक्टूबर की रात को प्रशासन ने चारों गिरफ़्तार मज़दूर नेताओं को बिना शर्त रिहा कर दिया था। चार मज़दूर नेताओं की अवैध गिरफ़्तारी और बर्बर पिटाई के विरोध में 20 अक्टूबर को बरगदवाँ औद्योगिक क्षेत्र के पाँच कारख़ानों में हड़ताल हो गयी थी और 1500 से अधिक मज़दूरों ने ज़िलाधिकारी कार्यालय पर धरना और क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। गोरखपुर मज़दूर आन्दोलन समर्थक नागरिक मोर्चा की ओर से गोरखपुर में नागरिक सत्याग्रह आन्दोलन शुरू करने की घोषणा से ज़िला प्रशासन पर और भी दबाव बढ़ गया था। कलक्ट्रेट परिसर में बैठे मज़दूरों को भारी संख्या में पुलिस, पीएसी व रैपिड ऐक्शन फोर्स ने घेर रखा था, लेकिन मज़दूर बड़ी संख्या में डटे रहे। 22 अक्टूबर को दो अन्य कारखानों के मज़दूर भी काम बन्द करके जिलाधिकारी कार्यालय पर धरने में शामिल हो गये थे।

इन मज़दूरों की माँगें बेहद मामूली थीं। वे न्यूनतम मज़दूरी, जॉब कार्ड, ईएसआई कार्ड देने जैसे बेहद बुनियादी हक माँग रहे थे, श्रम क़ानूनों के महज़ कुछ हिस्सों को लागू करने की माँग कर रहे थे। बिना किसी सुविधा के 12-12 घण्टे, बेहद कम मज़दूरी पर, अत्यन्त असुरक्षित और असहनीय परिस्थितियों में ये मज़दूर आधुनिक गुलामों की तरह से काम करते रहे हैं। गोरखपुर के सभी कारख़ानों में ऐसे ही हालात हैं। किसी कारख़ाने में यूनियन नहीं है, संगठित होने की किसी भी कोशिश को फौरन कुचल दिया जाता है। गोरखपुर में दिशा छात्र संगठन और नौजवान भारत सभा के माध्यम से काम कर रहे कुछ छात्र-युवा कार्यकर्ताओं ने कुछ महीने पहले इन मज़दूरों के आन्दोलन में शिरकत शुरू की और उन्हें श्रम कानूनों, मज़दूरों के अधिकारों आदि के बारे में जागरूक करने तथा संघर्ष के रूपों और तौर-तरीक़ों के सम्बन्ध में मदद करने का काम शुरू किया।

इसके बाद पहली बार मई 2009 में तीन कारख़ानों के मज़दूरों ने संयुक्त मज़दूर अधिकार संघर्ष मोर्चा बनाकर न्यूनतम मज़दूरी देने और काम के घण्टे कम करने की लड़ाई लड़ी और आंशिक कामयाबी पायी। इससे बरसों से नारकीय हालात में खट रहे हज़ारों अन्य मज़दूरों को भी हौसला मिला। इसीलिए यह आन्दोलन इन दो कारखानों के ही नहीं बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम उद्योगपतियों को बुरी तरह खटक रहा था और वे हर क़ीमत पर इसे कुचलकर मज़दूरों को "सबक़ सिखा देना" चाहते थे। मज़दूरों और नेतृत्व के लोगों को डराने-धमकाने, फोड़ने की हर कोशिश नाकाम हो जाने के बाद यह सुनियोजित मुहिम छेड़ी गयी कि इस आन्दोलन को "माओवादी आतंकवादी" और "बाहरी तत्त्व" चला रहे हैं। प्रशासन और श्रम विभाग के अफ़सर तो उनके पक्ष में थे ही, शहर के भाजपा सांसद योगी आदित्यनाथ भी खुलकर उद्योगपतियों के पक्ष में उतर आये और मज़दूर आन्दोलन के ख़िलाफ़ बाक़ायदा मोर्चा खोल दिया। लेकिन मज़दूर पूरी तरह एकजुट थे। ऐसे दुष्प्रचारों और धमकियों तथा हमलों से डरने के बजाय उनका लड़ने का हौसला और बढ़ गया। वे यह भी समझ गये कि उनकी लड़ाई किसी एक-दो फ़ैक्टरी मालिक से नहीं, इस पूरी लुटेरी व्यवस्था से है, और उनका संघर्ष लम्बी लड़ाई की एक कड़ी है।

पिछली 24 सितम्बर को मज़दूरों ने प्रशासन को समझौता कराने के लिए बाध्य कर दिया था। ज़िलाधिकारी की मौजूदगी में उपश्रमायुक्त ने 15 दिनों के भीतर मज़दूरों की माँगें पूरी कराने का आश्वासन लिखकर दिया था। 15 दिनों के भीतर समझौता लागू न होने पर ज़िला प्रशासन को समीक्षा बैठक करनी थी। दो सप्ताह से अधिक का समय बीत जाने पर भी कारखाना मालिकों ने आधे से अधिक मज़दूरों को काम पर नहीं लिया था। न्यूनतम मज़दूरी सहित ज़्यादातर माँगों पर कोई कार्रवाई नहीं गयी थी। बार-बार प्रशासन और श्रम विभाग से समीक्षा की

माँग करने पर भी जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो थकहारकर 14 अक्टूबर से मज़दूरों ने 30-30 के जत्थों में डीएम कार्यालय पर क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी। उनके समर्थन में सैकड़ों मज़दूर भी धरने पर बैठ गये। अब तक हाथ पर हाथ धरे बैठा प्रशासन अब फ़ौरन हरक़त में आ गया और पूरी ताक़त से मज़दूरों पर टूट पड़ा। मज़दूर आन्दोलन को कुचलने के लिए प्रशासन ने फैक्ट्री मालिकों के इशारे पर एकदम नंगा आतंकराज क़ायम कर दिया।

15 अक्टूबर की शाम को ज़िला प्रशासन ने चारों नेताओं को बातचीत के बहाने एडीएम सिटी के कार्यालय में बुलाया जहाँ खुद ए.डीएम. सिटी, सिटी मजिस्ट्रेट और कैंट थाने के इंस्पेक्टर ने अन्य पुलिसवालों के साथ मिलकर उन्हें लात-घूँसों से बुरी तरह मारा। चारों को जेल भेज दिया गया तथा शान्ति भंग करने की धाराओं के अतिरिक्त डकैती और 'एक्सटॉर्शन' के आरोप में फ़र्ज़ी मुक़दमे दर्ज कर लिए गये। अगले दिन मालिकों की ओर से इन चार के अलावा 9 मज़दूरों पर जबरन मिल बन्द कराने, धमकियाँ देने जैसे आरोपों में झूठे मुक़दमे दर्ज कराये गये। उसी रात ज़िलाधिकारी कार्यालय में अनशन और धरने पर बैठे मज़दूरों पर हमला बोलकर उन्हें वहाँ से हटा दिया गया। महिला मज़दूरों को घसीट-घसीटकर वहाँ से हटाया गया। प्रशान्त, प्रमोद, तपीश एवं मुकेश को ले जाने का विरोध कर रही महिलाओं के साथ मारपीट की गयी।

प्रशासन ने चारों मज़दूर नेताओं पर गैंग्स्टर एक्ट लगाने की भी पूरी तैयारी कर रखी थी। प्रशासन की मंशा कुछ मार्क्सवादी साहित्य, बिगुल मज़दूर अख़बार और पेन ड्राइव आदि की बरामदगी दिखाकर उन्हें "माओवादी" बताते हुए संगीन धाराएँ लगाने की थी और कुछ अधिकारियों ने मीडिया में इस आशय के बयान भी दिये। लेकिन फिर कुछ पत्रकारों द्वारा ऐसे क़दम के उल्टा पड़ जाने के ख़तरे के बारे में चेतावनी देने तथा व्यापक मज़दूर आक्रोश को देखते हुए उन्हें हाथ रोकना पड़ा। कुछ वरिष्ठ पत्रकारों ने बाद में बताया कि अगर मज़दूरों और नागरिकों की व्यापक गोलबन्दी तत्काल न हुई होती तो पुलिस की योजना थी कि प्रमुख नेताओं का एन्काउण्टर कर दिया जाये। अदालत में पेश करने के लिए लाये जाते समय भागने की कोशिश कर रहे "नक्सली" मुठभेड़ में मारे गये, इस आशय की कहानी तैयार कर ली गयी थी। यहाँ यह बताना ज़रूरी है कि स्थानीय "चैम्बर ऑफ़ इण्डस्ट्रीज़, अलग-अलग फैक्टरी मालिक और पुलिस एवं नागरिक प्रशासन के अधिकारी पिछले ढाई महीने से मीडिया में इस आशय के बयान दे रहे थे कि इस मज़दूर आन्दोलन में "बाहरी तत्त्व", "नक्सली" और "माओवादी" सक्रिय हैं। स्थानीय भाजपा सांसद योगी आदित्यनाथ ने भी कई ऐसे बयान जारी किये। मामले को साम्प्रदायिक रंग देते हुए उन्होंने यह भी दावा किया कि इस आन्दोलन में माओवादियों के अतिरिक्त चर्च भी सक्रिय है। इस तरह मालिक-प्रशासन-नेताशाही के गँठजोड़ ने मीडिया के ज़रिये दुष्प्रचार करके मज़दूर आन्दोलन को कुचल देने के लिए महीनों पहले से माहौल बनाना शुरू कर दिया था।

समझौते के बाद भी मज़दूर समझ रहे थे कि मालिकान इतनी आसानी से माँगों को लागू नहीं करने वाले हैं। और ऐसा ही हुआ भी। अगले ही दिन से मज़दूरों को फिर से जूझना पड़ गया। तीन दिन बीत जाने के बाद भी मॉडर्न लेमिनेटर्स लि. और मॉडर्न पैकेजिंग प्रा. लि. ने मज़दूरों को काम पर नहीं लिया। प्रशासन भी मालिकों के साथ मिलकर मज़दूरों से लुकाछिपी का खेल खेलता रहा और धोखाधड़ी करता रहा। दरअसल मालिकों को फैक्ट्री तो चलानी थी लेकिन वे मज़दूरों को पूरी तरह झुकाकर और तोड़कर अपनी शर्तों पर वापस लेना चाहते थे और आन्दोलन के अगुआ मज़दूरों को बाहर कर देना चाहते थे। लेकिन मज़दूरों ने उन्हें ऐसा करारा जवाब दिया जिसकी उन्हें सपने में भी उम्मीद नहीं होगी। मज़दूरों ने आपात बैठक करके निर्णय लिया कि वे अब पवन बथवाल के कारखाने में काम ही नहीं करेंगे। मज़दूरों ने तय किया कि जिन मज़दूरों को श्रम क़ानून लागू हुए बिना ही पवन बथवाल के यहाँ काम करना हो वे इसके लिए स्वतन्त्र हैं लेकिन मज़दूरों की बहुसंख्या ऐसे मज़दूर विरोधी मालिक के लिए काम नहीं करना चाहती। सैकड़ों मज़दूरों ने डीएलसी कार्यालय में सामूहिक इस्तीफ़ा लिखकर दे दिया। कारखाने की क़रीब दो दर्जन स्त्री मज़दूरों ने तो पहले ही दिन कह दिया था कि वे बथवाल के कारखाने में काम नहीं करेंगी और उसी दिन मुआवज़े सहित अपना हिसाब ले लिया था। मज़दूरों ने यह भी घोषणा की कि अन्य जगहों पर काम तलाशने और काम करने के साथ ही वे अब पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में श्रम क़ानूनों के घोर उल्लंघन के सवाल पर मज़दूरों के बीच प्रचार करेंगे और गोरखपुर प्रशासन तथा उत्तर प्रदेश सरकार के मज़दूर विरोधी-ग़रीब विरोधी चेहरे को नंगा करेंगे। श्रम विभाग से लेकर पुलिस-प्रशासन तक यहाँ मालिकों के चाकर की भूमिका निभाते हैं और मज़दूरों के लिए किसी क़ानून का कोई मतलब नहीं रह गया है। जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक के अफ़सरों को मिलमालिक कठपुतली की तरह अपने इशारों पर नचाते हैं। मज़दूर अब टोलियाँ बनाकर पूर्वी प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में इसका भण्डाफोड़ करेंगे और पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में श्रम क़ानूनों के अमल के सवाल पर व्यापक मज़दूर आन्दोलन खड़ा करने की तैयारी करेंगे।

इस आन्दोलन ने मज़दूरों की व्यापक आबादी और आम नागरिकों के सामने इस व्यवस्था का असली चेहरा नंगा कर दिया। लोगों ने देखा कि किस तरह सरकार, प्रशासन, पुलिस, अदालत, जन-प्रतिनिधि, चुनावी नेता सब मिलकर एक बेहद जायज़ और न्यायपूर्ण आन्दोलन को कुचलने पर आमादा हो गये। मज़दूरों ने ढाई महीनों के दौरान गोरखपुर से लेकर लखनऊ तक, हर स्तर पर बार-बार अपनी बात पहुँचायी लेकिन "सर्वजन हिताय" की बात करने वाली सरकार कान में तेल डालकर सोती रही।

इस आन्दोलन की सबसे बड़ी ताक़त थी मज़दूरों की व्यापक एकजुटता। यह एकजुटता अनेक रूपों में देखने को

आयी। आम तौर पर ठेका तथा दिहाड़ी मज़दूर आन्दोलन से अलग-थलग पड़ जाते हैं और उनकी माँगों पर ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन पिछले छह महीनों से जारी गोरखपुर के आन्दोलन में – चाहे अंकुर उद्योग व वीएन डायर्स की मिलों की लड़ाई हो, या मॉडर्न की दोनों बोरा मिलों की – ठेका और दिहाड़ी मज़दूर बाक़ी मज़दूरों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर लड़े और बाकी मज़दूरों ने भी उनकी विशिष्ट माँगों पर पूरा साथ दिया। इसीलिए, उनके बीच फूट डालने की मालिकों की तमाम कोशिशें कामयाब नहीं हो सकीं। पूरे बरगदवां क्षेत्र के मज़दूरों ने इस लड़ाई में शानदार एकजुटता का परिचय दिया। मज़दूर नेताओं की गिरफ़्तारी के विरोध में 20 अक्टूबर को पाँच कारखानों – मॉडर्न लेमिनेटर्स, मॉडर्न पैकेजिंग, अंकुर उद्योग, वीएन डायर्स कपड़ा मिल व वीएन डायर्स धागा मिल में पूरी तरह हड़ताल हो गयी और लगभग सारे मज़दूर जुलूस में शामिल हुए। अगले दिन दो और कारखानों – लक्ष्मी साइकिल रिम तथा बर्तन फैक्ट्री – के मज़दूर भी काम बन्द करके कलक्ट्रेट पर पहुँच गये। इलाक़े के कई और कारख़ानों के मज़दूर भी लगातार आन्दोलन को विभिन्न तरीक़ों से सहयोग देते रहे। फैक्ट्री गेट पर देर रात होने वाली मीटिंगों में कई कारख़ानों के मज़दूर सैकड़ों की संख्या में जुटते थे। मॉडर्न के मज़दूरों के आन्दोलन के दौरान गेट पर चलने वाले सामूहिक भोजनालय के लिए अंकुर और वीएन डायर्स के मज़दूरों ने ही नहीं, पास के घोसीपुरवा गाँव के लोगों ने भी अनाज, तेल, गोइठा, पैसे आदि इकट्ठा करके पहुँचाये।

मज़दूरों ने शुरू से अपने आन्दोलन से व्यापक मज़दूर आबादी और फिर नागरिक आबादी को जोड़ने के लिए उनके बीच में प्रचार किया तथा अनेक पर्चे निकाले। छात्रों-नौजवानों को सम्बोधित करके भी पर्चे निकाले गये तथा कालेजों और विश्वविद्यालय में बाँटे गये। इन सबका काफ़ी अच्छा असर हुआ और आन्दोलन के पक्ष में जनसमर्थन जुटाने में मदद मिली।

इस आन्दोलन की ख़बरें उत्तर प्रदेश के मज़दूरों के बीच दूर-दूर तक फैल गयीं और कई जगह तो मज़दूरों ने केवल इस आन्दोलन से प्रेरित होकर स्वत:स्फूर्त ढंग से अपने हक़ पाने के लिए लड़ाई छेड़ दी। रामपुर, चन्दौली के पाँच बोरा कारख़ानों के मज़दूरों ने गोरखपुर के मज़दूरों द्वारा बाँटे गये पर्चे से प्रेरित होकर एक साथ हड़ताल की और आंशिक सफलता भी पायी। बनारस के लहरतारा औद्योगिक क्षेत्र, हरिद्वार के सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र और इटावा तक इस आन्दोलन का असर गया। जगह-जगह से मज़दूरों ने फ़ोन करके अपनी एकजुटता और समर्थन का भरोसा जताया और मज़दूर नेताओं को अपने यहाँ भी संघर्ष की अगुवाई करने का न्योता दिया।

गोरखपुर के मज़दूर आन्दोलन का एक चरण समाप्त हो गया लेकिन मज़दूरों की व्यापक आबादी अब यह अच्छी तरह समझ चुकी है कि अगर अपने अधिकार पाने हैं तो उन्हें पूरी व्यवस्था के ख़िलाफ़ एक लम्बी लड़ाई लड़नी होगी। उनके बीच से अब पुलिस-प्रशासन-मालिकान के गुण्डों आदि का ख़ौफ़ निकल चुका है। यह इस आन्दोलन की बहुत बड़ी उपलब्धि है।

पिछले कई वर्षों से गोरखपुर ही नहीं, नोएडा और दिल्ली सहित देश भर में मज़दूर अधिकांश लड़ाइयाँ हारते रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है उनका बिखराव। जो पुरानी यूनियनें हैं वे ज़्यादातर बड़े कारखानों के सफ़ेदपोश मज़दूरों तक सिमट चुकी हैं। लाखों छोटे-छोटे कारखानों में बेहद कम मज़दूरी पर खट रहे नियमित, दिहाड़ी, ठेका, तरह-तरह के टेम्परेरी और कैज़ुअल मज़दूरों के हितों की ये नुमाइन्दगी ही नहीं करतीं – जबकि ये मज़दूर देश की कुल मज़दूर आबादी के 95 प्रतिशत से भी ज़्यादा हैं। सबसे बर्बर शोषण और उत्पीड़न के शिकार इन करोड़ों मज़दूरों को क़िस्म-क़िस्म के दल्ले, भ्रष्ट यूनियन नेता और चुनावी पार्टियों के स्थानीय नेता भरमाते-बरगलाते रहते हैं। सरकारी नीतियाँ मिल-मालिकों को लूट की खुली छूट देती हैं। लेबर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट-सुप्रीम कोर्ट तक में ज़्यादातर फ़ैसले मालिकों के पक्ष में और मज़दूरों के ख़िलाफ़ होते हैं। पुलिस-प्रशासन, नेता-अफ़सर सब मालिकों के पक्ष में एक हो जाते हैं। अख़बार और टीवी भी उन्हीं की भाषा बोलते हैं।

ऐसे में ज़्यादातर मज़दूर भी मान बैठे हैं कि हमें तो इन्हीं हालात में नर्क के गुलामों की ज़िन्दगी बसर करते हुए अपनी हड्डियाँ निचोड़कर मालिक की तिजोरी भरते रहना है। सच तो यह है कि कुछ महीने पहले तक इन तीन कारख़ानों के मज़दूर भी बहुत पस्ती के शिकार थे – लेकिन मालिकान ने पीछे धकेलते-धकेलते उन्हें इस क़दर कोने में पहुँचा दिया कि अब और पीछे नहीं हटा जा सकता था। तब उन्होंने संगठित होकर लड़ने का फ़ैसला किया। उनके पास संगठित संघर्ष का ज़्यादा अनुभव भी नहीं था लेकिन वे अपनी एकजुटता की ताक़त के बूते पर लड़े और जीते।

अब मज़दूरों को अपने संगठित होने के इस सिलसिले को अगली मंजिल में ले जाना होगा। वे यहीं पर रुक नहीं सकते। बरगदवा से लेकर गीडा, सहजनवा ही नहीं पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश के मेहनतकशों को अपने-अपने कारखानों-इलाक़ों में एकजुट और संगठित होने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। दलाल, मक्कार, नकली, भूजाछोर मज़दूर नेताओं को किनारे लगाकर अपने जुझारू संगठन बनाने होंगे और एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा। अगर मज़दूर एक रहेंगे तो मालिक-मैनेजमेंट और उनके पिट्ठू अफ़सरान उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। अपने हक़ की लड़ाई वे शानदार तरीक़े से जीतेंगे। गोरखपुर के इस सफल मज़दूर संघर्ष का यही सबसे बड़ा सबक़ है। इसने यह भी दिखा दिया है कि व्यापक मज़दूर आबादी के बीच अपने हालात के प्रति गुस्सा और इसके विरुद्ध लड़ने का जीवट है। ज़रूरत ऐसे युवा कार्यकर्त्ताओं की है जो उनके बीच काम करते हुए उन्हें मज़दूर वर्ग के ऐतिहासिक मिशन से परिचित करायें और उनकी राजनीतिक चेतना को क्रमश: विकसित करते हुए उन्हें व्यापक संघर्षों के लिए तैयार करें।

– सत्यप्रकाश